कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर — 342001
email jdajodhpur@yahoo.comवेब—साईट jodhpurjda.orgPhone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक:F37(2)/नि.अ./एम्पावर्ड कमेटी/का.वि./2018/4620 दिनांक:— 23/08/18

—:कार्यवाही विवरण:—

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 07.08.2018 को माननीय श्री महेन्द्र राठौड अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई। जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 1 पर संलग्न है। बैठक में एजेण्डावार लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:—

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
	पूर्व	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 120 व बटटा नम्बर की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदक:— गार्ड पत्रावली	**समिति को अवगत करवाया गया कि—** 1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा मे आर्मि एरिया स्थित है, जिससे नियमानुसार 10 मीटर नो—कन्सट्रक्शन जॉन छोडा गया है। जिसमे किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही होगा। 2. आवेदित भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा मे स्थित कटान मार्ग स्थित है जिसकी चौडाई बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। 3. पत्रावली के पैरा—42 अनुसार आवेदित भूमि मे से 33 के0वी की इलेक्ट्रीक लाईन गुजर रही है, जिसका अकंन ले—आउट प्लान पर करवाया जाना अपेक्षित है तथा नियमानुसार सुरक्षात्क दूरी छोडी जानी आवश्यक है। 4. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा मे स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट व आन्तरिक सडको का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	प्रयोजन	एरिया (वर्गगज)	प्रतिशत
1.	आवासीय/प्लॉट एरिया	18147.78	67.18
2.	सडक	7050	26.09
3.	नो—कन्सट्रक्शन जॉन	1816.66	06.73
	कुल	27014.44	100

समिति द्वारा विचार—विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो पर ले—आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया:—

1. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु (iv) के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे की "प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो/आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट/1516—30 दिनांक 25.04.17 की समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।"
2. उक्त ले—आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक व अन्य मापदण्ड रखे जाने होगे।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या—1 के अनुसार आर्मी एरिया क्षेत्र के लगते हुये प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे अंकित 15 फीट सडक को यथावत रखा जावे, जिसमे किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही किया जावे।
4. एजेण्डा के बिन्दु संख्या—2 के कम मे आवेदित भूमि के पूर्व व उत्तर दिशा मे स्थित कटान मार्ग की चौडाई 60 फीट रखी जावे।
5. प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे से 33 के0वी की इलेक्ट्रीक लाईन गुजर रही है, जिसका अकंन ले—आउट प्लान पर जोन पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करवाया जाकर 33 के0वी की इलेक्ट्रीक लाईन के दोनो ओर 2.8—2.8 मी0 सुरक्षात्मक दूरी छोडी जानी होगी। जिसमे किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नही किया जावेगा।
6. प्रस्तावित ले—आउट प्लान के उत्तर दिशा मे सर्वे प्लान अनुसार(भू0सं—बी17 से 25) होटल निर्मित है, आवेदित भूमि का भू—उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान—2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ होने से उक्त का पटटा जारी नही किया जावे।
7. प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे दर्शित 60 फीट व 40 फीट सडक हेतु सडक मध्य से कमशः 30 फीट व 20 फीट भूमि सडक हेतु छोडते हुये पटटे जारी किये जावे तथा प्रस्तावित ले—आउट प्लान में समस्त आन्तरिक सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।

As approved
21/8/18

2. | **पूर्व**

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 15 व 16 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबध में।

गार्ड पत्रावली

समिति को अवगत करवाया गया कि–

1. आवेदित भूमि झालामण्ड जाने वाली मुख्य सडक पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है।
2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार झालामण्ड मुख्य सडक के सहारे–सहारे अधिकतम 100 फीट की गहराई अथवा एकल भूखण्ड की गहराई जो भी कम हो तक व्यवसायिक एवं शेष भूमी का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
3. पत्रावली के पैरा–7 पर पटवार रिपोर्ट अनुसार कुल क्षेत्रफल–28–10–08 बीघा (55214.72 वर्गगज) है, जबकि सर्वे मानचित्र मे कुल क्षेत्रफल–55252.83 वर्गगज है।
4. आवेदित भूमि मे से कोई एच0टी0 लाईन नही गुजर रही है, उक्त हेतु जोन की मौका रिपोर्ट ली जानी अपेक्षित है।
5. सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :–

क.सं.	प्रयोजन	एरिया वर्गगज	प्रतिशत
1.	आवासीय / प्लॉट एरिया	38231.91	69.19
2.	सडक	17020.92	30.81
	कुल	55252.83	100

6. मास्टर प्लान की सडक को 100' रखते हुये तथा समस्त आन्तरिक सडको को 30 फीट करते हुए योजना मानचित्र का क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :–

क.सं.	प्रयोजन	एरिया वर्गगज	प्रतिशत
1.	आवासीय / प्लाट एरिया	32459.06	58.75
2.	व्यवसायिक	3694.44	6.68
3.	सडक	19099.30	34.57
	कुल	55252.83	100

समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो की पर ले–आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया–

1. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु (iv) के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे की "प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों / आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प.2(30) नविवि / 3 / 2016 पार्ट / 1516–30 दिनांक 25.04.17 की समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।"
2. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन / स्वीकृती नही है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक व अन्य मापदण्ड रखे जाने होगे।
3. प्रस्तावित ले–आउट प्लान के उत्तर दिशा मे स्थित झालामण्ड जाने वाली मुख्य सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे।
4. प्रस्तावित ले–आउट प्लान में समस्त आन्तरिक सडकों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।
5. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार झालामण्ड मुख्य सडक के सहारे–सहारे अधिकतम 100 फीट की गहराई अथवा एकल भूखण्ड की गहराई जो भी कम हो तक भू–उपयोग व्यवसायिक है। अतः उक्त सडक पर एकल भूखण्ड की गहराई व अधिकतम 100 फीट की गहराई तक व्यवसायिक पटटे जारी किये जावे।
6. प्रस्तावित ले–आउट प्लान के दक्षिण दिशा मे पटवारी द्वारा सुपरईपॉज से बाहर स्थित भू–खण्डो के पटटे जारी नही किये जावे।
7. एजेण्डा के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार प्रस्तावित भूमि मे स्थित अतिरिक्त भूमि हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे।
8. एजेण्डा के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार प्रस्तावित भूमि मे से एच0टी0 लाईन गुजर रही है, उक्त लाईन की क्षमता की रिपोर्ट व लाईन का अंकन ले–आउट प्लान पर सम्बन्धित जोन पटवारी / कनिष्ठ अभियन्ता से करवाते हुये नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोडी जावें।
9. प्रस्तुत ले–आउट प्लान मे भूखण्डो के पटटे मास्टर प्लान के उपयोगो व भवन विनियम के प्रावधानोनुसार जारी किये जावे।

3. पूर्व

राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 03, 188/28 व 189/3 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकः–गार्ड पत्रावली

समिति को अवगत करवाया गया कि–

1. आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा मुख्य जयपुर सडक का मार्गाधिकार 200 फीट की श्रेणी के आरक्षित है।
2. पत्रावली के पैरा–एन 95 के बिन्दु संख्या 5 पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पत्रावली के पृष्ठ संख्या–10 पर दिनांक 24.03.2008 को सचिव, बी0जे0एस सोसायटी जोधपुर ने जरिये प्रार्थना पत्र खसरा संख्या–4, 5 व 30 की भूमि को 90 बी की कार्यवाही से पुनग्रहीत करने व संस्था द्वारा उक्त खसरान पर किसी प्रकार के भूखण्ड आवंटन नही किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ प्रकरण संख्या–3629/08 दिनांक 26.06.2008 सचिव, बी0जे0एस सोसायटी जोधपुर बनाम तहसीलदार जोधपुर मे केवल खसरा संख्या–03, 188/28 व 189/3 कुल रकबा–7.11 बीघा भूमि की 90बी की जाकर न्यास के हक मे नामान्तरण दायर करने का निर्णय लिया गया।
3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग विश्लेषण प्राप्त सर्वे अनुसार निम्नानुसार हैः–

क.स.	प्रयोजन	एरिया वर्गगज	प्रतिशत
1.	आवासीय/प्लॉट एरिया	25827.69	35.71
2.	सडक	46493.94	64.29
	कुल	72321.63	100

4. आवेदित भूमि में मुख्य सडक का मार्गाधिकार 200 फीट, ले–आउट की आन्तरिक सडको का मार्गाधिकार 30, 40 फीट व रेलवे सीमा से 100 फीट छोडने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार हैः–

क.स.	प्रयोजन	एरिया वर्गगज	प्रतिशत
1.	आवासीय/प्लॉट एरिया	7955.17	59.69
2.	रेल्वे नोकन्सटक्सन जोन व सडक	48801.55	40.31
	कुल	56762.72	100

समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में प्रस्तावित ले–आउट प्लान मे स्थित अतिरिक्त भूमि हेतु जोन उपायुक्त सम्पूर्ण परीक्षण कर पूर्ण तथ्यो के साथ आगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. पूर्व

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 76 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकः– गार्ड पत्रावली

समिति को अवगत करवाया गया कि–

1. आवेदित भूमि झालामण्ड चौराहे से गुडा जाने वाली सडक पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है।
2. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार आवासीय व मुख्य सडक के सहारे–सहारे व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
3. आवेदित भूमि के उत्तर–पूर्व मे नाला स्थित है, उक्त नाला पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकोर्ड अनुसार गै0मु0 बाला दर्ज है, उक्त नाले से बफर जोन छोडे जाने बाबत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
4. प्रकरण मे सर्वेयर द्वारा अंकित क्षेत्रफल विशलेषण मे 24774.85 वर्गमीटर अर्थात 29619.70 वर्गगज क्षैत्रफल अंकित किया गया है, जिसे काली डोटेट लाईन से दर्शाया गया है परन्तु पटवारी द्वारा सुपरईपॉज ए से आई तक किया गया है। उक्त सुपरईपॉज मे उत्तर दिशा मे स्थित भूखण्डो के क्षैत्रफल को भी आयोजना शाखा द्वारा सम्मिलित करते हुये कुल क्षैत्रफल 36143.87 वर्गगज प्राप्त होता है। अतः आवेदित भूमि मे कोई सरकारी भूमि सम्मिलित है अथवा नही की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जानी अपेक्षित है।
5. प्रकरण मे सर्वेयर द्वारा भू0स0 92, 93 व 94 के भाग को मे नाला दर्शाया गया है, उक्तानुसार ही उक्त भूखण्डो को नाले के क्षैत्रफल मे सम्मिलित करते हुये आयोजना शाखा द्वारा क्षैत्रफल विशलेषण किया गया है।
6. मास्टर प्लान की सडक को 100' मानते तथा समस्त आन्तरिक सडको को 30 फीट करते हुए योजना मानचित्र का क्षैत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :–

क.स.	प्रयोजन	एरिया वर्गगज	प्रतिशत
1.	आवासीय/प्लॉट एरिया	24870.26	68.81
2.	नाला	243.69	0.67
3.	सडक	11029.92	30.52
	कुल	36143.87	100

समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्न शर्तो की पर ले–आउट अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु (iv) के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे की प्रश्नगत प्रकरण में कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है

			यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.17 की समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।" 2. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पटटा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक व अन्य मापदण्ड रखे जाने होंगे। 3. प्रस्तावित ले-आउट प्लान के उत्तर दिशा मे स्थित झालामण्ड जाने वाली मुख्य सडक जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 100 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जाना होगा। 4. प्रस्तावित ले-आउट प्लान में समस्त आन्तरिक सडकों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखा जावें। 5. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार झालामण्ड मुख्य सडक के सहारे-सहारे अधिकतम 100 फीट की गहराई अथवा एकल भूखण्ड की गहराई जो भी कम हो तक भू-उपयोग व्यवसायिक है। अतः उक्त सडक पर एकल भूखण्ड की गहराई व अधिकतम 100 फीट की गहराई तक व्यवसायिक पटटे जारी किये जावें। 6. प्रस्तावित ले-आउट प्लान के पूर्व दिशा मे स्थित नाले के उपरान्त 30 फीट बफर जोन रखा जाना होगा। 7. प्रस्तावित ले-आउट प्लान मे पटवारी द्वारा सुपरईपॉज से बाहर तथा सर्वे बाउन्ड्री से बाहर स्थित भू-खण्डो के पट्टे जारी नही किये जावें। 8. एजेण्डा के बिन्दु संख्या-4 के क्रम मे सरकारी भूमि होने अथवा नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।
5.	पूर्व	राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 9 व 11 की भूमि के पुनर्गठन के संबंध में। आवेदकः- श्री अर्जुन सिंह	**समिति को अवगत करवाया गया कि-** 1. उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा नं. 9 व 11 के भूखण्ड संख्या 34 व 35 नया भूखण्ड संख्या 50 व 51 तथा भूखण्ड संख्या 36 नया भूखण्ड संख्या 49 एवं भूखण्ड संख्या 37 व 38 नया भूखण्ड संख्या 47 व 48 के कुल क्षेत्रफल- 1505.57 वर्गमीटर का उप-विभाजन व संयुक्तिकरण चाहा गया है। आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा मे 40 फीट सडक व दक्षिण दिशा मे 30 फीट सडक स्थित है। प्रकरण मे कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मे भवन व टिन शेड निर्मित है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि मे स्थित निर्माण को हटाये जाने बाबत प्रार्थी ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार संयुक्तिकरण उपरान्त प्रार्थी द्वारा पुराने निर्माण को हटा कर नियमानुसार भवन मानचित्र अनुमोदन करवा कर ही भवन निर्माण कार्य किया जावेगा। 2. नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट जयपुर, दिनांक 20.05.2017 अनुसार आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने व 3000 वर्गमीटर से कम होने से प्रकरण एम्पावर्ड समिति मे रखा जाना अपेक्षित है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श पश्चात् प्रकरण में नियमानुसार उप-विभाजन व संयुक्तिकरण के शुल्क जमा करते हुये, संयुक्तिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।**
6.	पूर्व	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 123 व 123/1 की भूमि के पुनर्गठन के संबंध में। आवेदकः- श्री वरिन्द्र कुमार गर्ग वगैरहा	**समिति को अवगत करवाया गया कि-** 1. राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा नं. 123 व 123/1 के भूखण्ड संख्या 371 क्षेत्रफल 222.22 व.ग. (185.87 व.मी.) 372 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. (139.40 व.मी.) 373 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. (139.40 व.मी.), 374 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. (139.40 व.मी.), 375 क्षेत्रफल 166.66 व.ग. (139.40 व.मी.), 376 क्षेत्रफल 116.66 व.ग. (97.58 व.मी.), 377 क्षेत्रफल 116.66 व.ग. (97.58 व.मी.), 384 क्षेत्रफल 1205.55 व.ग. (1008.36 व.मी.), 385 क्षेत्रफल 1205.55 व.ग. (1008.36 व.मी.), 392 क्षेत्रफल 1393.33 व.ग. (1165.42 व.मी.), एवं 398 क्षेत्रफल 1377.77 व.ग. (1152.41 व.मी.) कुल क्षेत्रफल 6304.44 वर्गगज (5273.23 वर्ग मीटर) के पुनर्गठन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्त भूखण्ड के तीन तरफ 30 फीट चौडाई की सडक स्थित है। 2. प्रकरण में संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.10.17 (पैरा संख्या 05) अनुसार भूखण्ड के पीछे की ओर आर्मी एरिया दर्शाया गया है। 3. उपरोक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण प्रकरण में राज्य सरकार से पूर्वानुमति ली जानी आवश्यक है। अतः उपरोक्त के क्रम में प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श पश्चात् प्रकरण में आवेदित भूमि का क्षेत्रफल**

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3000 वर्गमीटर से अधिक होने से नियमानुसार राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृती व संयुक्तिकरण के शुल्क जमा करते हुये, संयुक्तिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>पश्चिम</td>
<td>राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 636 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकः— गार्ड पत्रावली</td>
<td>समिति को अवगत करवाया गया कि—
1. प्रकरण को पूर्व मे एम्पावर्ड समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 26.09.2017 मे निर्णयार्थ रखा गया था, जिसके कार्यवाही विवरण मे कुछ बिन्दुओ पर जोन उपायुक्त से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक मे रखे जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके कम मे जोन व जोन पटवारी की विस्तृत रिपोर्ट पत्रावली के पैरा—85 व 86 पर अंकित है।
2. प्रस्तावित भूमि का भू—उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान—2023 अनुसार आवासीय, व्यवसायिक, ओ0सी0एफ व पहाडी—चटटानी हेतु आरक्षित है। उक्त भू—उपयोगो का ले—आउट प्लान का अंकन पूर्व मे किया हुआ है तथा क्षैत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार किया हुआ है:—
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया (वर्गगज)</th><th>प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आवासीय / प्लॉट एरिया</td><td>81573.74</td><td>57.94</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कृषि</td><td>6133.44</td><td>37.70</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सडक</td><td>53086.00</td><td>4.36</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>140793.18</td><td>100</td></tr>
</table>
3. प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे 30 फीट से कम सडको का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट व 30 फीट से अधिक चौडाई की सडको का मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रावधान के उपरान्त आवासीय / प्लॉट एरिया का प्रतिशत 57.94 से भी कम हो जाता है।
4. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा मे स्थित मुख्य कायलाना सडक का मार्गाधिकार 160 से 200 फीट की श्रेणी मे आरक्षित है, अत उक्त सडक के मार्गाधिकार के संबंध मे निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे मास्टर प्लान प्रस्तावो अनुसार विभिन्न भू—उपयोगो का अंकन किया हुआ है, अतः मास्टर प्लान के भू—उपयोगो अनुसार पटटे जारी किये जाने अपेक्षित है।
5. प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे से एक नाला गुजरता हुआ दर्शाया गया है, उक्त नाले के दोनो ओर न्यूनतम 30—30 फीट भूमि सडक हेतु रखी जानी अपेक्षित है।
6. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा मे भूमि के मध्य मे स्थित राजस्व रास्तो की चौडाई का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना है साथ ही दक्षिण दिशा मे स्थित राजस्व रास्ते को मानचित्र पर अंकित करवाया जाना अपेक्षित है।

समिति द्वारा बाद विचार—विमर्श पश्चात् प्रकरण में प्रस्तावित ले—आउट प्लान मे जोधपुर मास्टर प्लान—2023 अनुसार विभिन्न भू—उपयोगों यथा आवासीय, व्यवसायिक, ओ0सी0एफ व पहाडी—चटटानी हेतु आरक्षित होने के कारण जोन उपायुक्त को मौका स्थिति व राजस्व रिकोर्ड अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>पश्चिम</td>
<td>राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा संख्या 749 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकः— गार्ड पत्रावली</td>
<td>समिति को अवगत करवाया गया कि—
1. पत्रावली के पृष्ठ संख्या—43 पर तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार कुल भूमि का क्षैत्रफल 5.02 बीघा लिखा गया जबकि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी अनुसार रकबा—4.19.05 बीघा दर्ज है।
2. पत्रावली के पैरा संख्या—74 पर विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या—749 पर चिंतामणी बनाम अध्यक्ष जवाहर गृह निर्माण समिति व अन्य पर अधीनस्त न्यायालय मे वाद दर्ज है।
3. आवेदित भूमि के क्षैत्रफल विश्लेषण उपरान्त आवासीय क्षैत्रफल 3364.78 वर्गगज प्राप्त होता है, जो कि 70 प्रतिशत से अधिक है। अतः आवासीय प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक होने से प्रकरण मे राज्य सरकार की स्वीकृती लिया जाना अपेक्षित है।
4. आवेदित भूमि मे आन्तरिक सडको का मार्गाधिकार 30 फीट रखने के उपरान्त क्षैत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है—
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया (वर्गगज)</th><th>प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आवासीय / प्लॉट एरिया</td><td>3364.78</td><td>75.17</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सडक</td><td>1111.22</td><td>24.83</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कुल</td><td>4476</td><td>100</td></tr>
</table>

समिति द्वारा बाद विचार—विमर्श पश्चात् प्रकरण में विकय योग्य क्षैत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण नियमानुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करते हुये ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है।</td>
</tr>
</table>

9.	पश्चिम	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 114 व 115 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदकः– गार्ड पत्रावली	**समिति को अवगत करवाया गया कि–** 1. आवेदक द्वारा अनुमोदित ले–आउट में भूखण्ड संख्या 60 व भूखण्ड संख्या 132 के मध्य में स्थित भूखण्ड संख्या 60A का पट्टा चाहा है जो कि वर्तमान में अनुमोदित ले–आउट में 30 फीट सडक दर्शायी हुई है। **समिति द्वारा प्रकरण में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–** 1. प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जोन स्तर पर जांच की जावें तथा स्वामित्व दस्तावेजो व मौका स्थिति अनुसार नियमानुसार सही पाये जाने पर अनुमोदित ले–आउट में दर्शित 30 फीट सडक को विलोपित करते हुए भूखण्ड संख्या 60A का पट्टा जारी किया जावें। साथ ही अनुमोदित ले–आउट प्लान मे भूखण्ड संख्या 61 व भूखण्ड संख्या 133 के मध्य में दर्शित 30 फीट सडक को विलोपित करते हुए भूखण्ड की भी उपरोक्तानुसार जॉच कर नियमानुसार सही पाये जाने पर भूखण्ड का पट्टा जारी किया जावें। 2. उपरोक्त संशोधन करने से पूर्व ले–आउट प्लान के क्षेत्रफल विश्लेषण की गणना की जावे तथा नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से कम होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
10.	उत्तर	राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 52 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में। आवेदकः– गार्ड पत्रावली	**समिति को अवगत करवाया गया कि–** 1. प्रकरण पूर्व में एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 26.09.2017 मे रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार–विमर्श बाद निर्णय लिया गया कि निम्नांकित बाबत् उपायुक्त से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे:– I. आवेदित भूमि के मध्य कोई सरकारी भूमि स्थित है अथवा नही बाबत्। II. समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति के कम में आपत्ति है अथवा नही बाबत। III. प्रश्नगत भूमि अवाप्ति में है या नहीं एवं योजना के अनुमोदन में विधिक रूप से कोई आपत्ति है अथवा नहीं बाबत्। IV. प्रश्नगत खसरे की जमाबंदी, खसरा ट्रेस एवं प्रारूप–7 आदि पत्रावली के साथ संलग्न करवाते हुये विस्तृत जांच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करे। V. आवेदित भूमि एच.टी. लाई से प्रभावित है अथवा नहीं, तथा क्षमता बाबत् टिप्पणी। 2. उपरोक्त निर्णय के बिन्दु संख्या 01, 02 व 04 के संबंध में रिपोर्ट पत्रावली के बिन्दु संख्या 63 से 67 पर अंकित है। जिसके अनुसार आवेदित भूमि के मध्य कोई सरकारी भूमि नहीं है। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा संख्या 52 रकबा 11.12 बीघा जबकि क्षेत्र विश्लेषण अनुसार 22993.42 वर्गगज अर्थात 535.82 वर्गगज भूमि अतिरिक्त/अतिशेष है। 3. प्रारूप–7 मय जमाबंदी पत्रावली के पृष्ठ संख्या 43 से 45 पर संलग्न है। 4. पत्रावली के पैरा संख्या 66 अनुसार जारी विज्ञप्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। तथा समिति के निर्णय के बिन्दु संख्या 03 व 05 क्रमशः अवाप्ति, तथा एच.टी. लाईन के संबंध में रिपोर्ट अपेक्षित है। 5. पूर्व में बैठक दिनांक 26.09.2017 में रखे गये एजेण्डे की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 33 पर संलग्न है। **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तो के साथ ले आउट प्लान अनुमोदन का निर्णय लिया गया:–** 1. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु (iv) के अनुसार उपायुक्त प्रश्नगत ले आउट प्लान पर यह अंकित करेंगे की "प्रश्नगत प्रकरण मे कोई सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं है यदि कोई सरकारी भूमि पाई जाती है तो इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/आदेशों अनुसार उपायुक्त अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे, विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है, भूमि अवाप्ति में भी नहीं है, मौके पर 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है, उक्त कॉलोनी 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी हुई है एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प.2(30) नविवि/3/2016 पार्ट/1516–30 दिनांक 25.04.17 की समस्त प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।" 2. ले–आउट प्लान में जिन भूखण्डो के भूखण्ड संख्या अंकित नही है। उनका भौतिक सत्यापन करते हुए जोन द्वारा ले–आउट प्लान पर अंकित करें। 3. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानोनुसार सेट बेक व अन्य मापदण्ड छोड़े जाने होगे। 4. ले–आउट प्लान में समस्त आन्तरिक सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>5. प्रस्तावित ले–आउट प्लान मे से एच0टी लाईन गुजर रही है, जिसकी क्षमता बाबत जोन पटवारी/कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट ली जाकर सुरक्षात्मक दूरी रखी जानी होगी।</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>उत्तर</td><td>राजस्व ग्राम पुंजला के खसरा संख्या 239 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकः– गार्ड पत्रावली</td><td>समिति को अवगत करवाया गया कि–
1. प्रकरण में पत्रावली के पैरा–54 पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार पार्ट 1 पृष्ठ संख्या 40 पर संलग्न जिसका पैरा नं. 54 अनुसार स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध नहीं तथा क्षेत्र विश्लेषण अनुसार 3879.75 वर्गगज है। पार्ट 2 पृष्ठ संख्या 39 पर संलग्न जिसका पैरा नं. 54 अनुसार कुल रकबा 21.01 बीघा जमाबन्दी में दर्ज है जिसमें से 3 खातेदारों द्वारा 3.18 बीघा भूमि का मानचित्र प्रस्तुत किया है। जिसका क्षेत्र विशलेषण अनुसार विश्लेषण क्षेत्रफल 4.01.11 बीघा प्राप्त होता है।
2. प्रस्तावित भूमि पृष्ठ संख्या 42 का सुपरईम्पोज उपरान्त राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार क्षेत्र विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। पूर्व में पार्ट 1 पृष्ठ संख्या 40 के क्षेत्र विश्लेषण अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल 81.37, पार्ट 2 पृष्ठ संख्या 39 के क्षेत्र विश्लेषण अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70.71 तथा सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार क्षेत्र विश्लेषण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रयोजन</th><th>एरिया (वर्गगज)</th><th>प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>5881.16</td><td>74.51</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सडक</td><td>2012.01</td><td>25.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>7893.17</td><td>100</td></tr>
</table>
3. प्रस्तावित भूमि का पैरा नं. 75 पर प्राप्त भू–उपयोग रिपोर्ट अनुसार भू–उपयोग आवासीय तथा मास्टर प्लान की प्रस्तावित सडक है।
4. पैरा नं. 37 पर निदेशक आयोजना की टिप्पणी अनुसार पूरी योजना को टुकडो–टुकडो में अनुमोदन नही कर सम्पूर्ण योजना को सम्मिलित किया जाना उचित होगा बाबत् टिप्पणी की गयी है। अतः इस संबंध मे समिति द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में जांच तथा ऐजेण्डा के बिन्दु तथा निदेशक आयोजना द्वारा पूर्व में जारी यूओ नोट दिनांक 26.09.2017 के परिप्रेक्ष्य में जोन स्तर पर जांच/पूर्ति की जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>दक्षिण</td><td>राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 6 व 6/5 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

गार्ड पत्रावली</td><td>समिति को अवगत करवाया गया कि–
1. प्रकरण पूर्व में बीपीसी(एल.पी.) की बैठक दिनांक 19.07.2017 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–
"समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार–विमर्श बाद निर्णय लिया गया कि उपायुक्त दक्षिण मौका देखकर प्रकरण को पुनः समिति के सक्षम प्रस्तुत करे।"
2. उपरोक्त निर्णय के क्रम में मौका रिपोर्ट पत्रावली के बिन्दु संख्या 71 व 58 पर अंकित है, तथा न्यास द्वारा दिनांक 02.02.2008 तथा प्राधिकरण द्वारा 02.09.2009 दोनो की स्थिति पत्रावली के बिन्दु संख्या 76 पर अंकित है।
3. पूर्व में बैठक दिनांक 19.07.2017 में रखे गये एजेण्डे की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 57 पर संलग्न है।

समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में जोन स्तर पर विस्तृत जांच कर आगामी बैठक मे रखे जाने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>दक्षिण</td><td>राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 301, 302 व 306/3 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

गार्ड पत्रावली</td><td>समिति को अवगत करवाया गया कि–
1. प्रकरण में पत्रावली में संलग्न मानचित्र पर निम्नानुसार नोट अंकित है" लें–आउट समिति की बैठक दिनांक 01.11.2004 में प्रस्तुत ले–आउट प्लान की प्रति" एव उप नगर नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित है परन्तु ले–आउट प्लान अनुमोदन होने का उल्लेख नहीं है।
2. जोन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार संलग्न मानचित्र के पूर्व मे जारी समस्त पट्टा विलेख को व साईट प्लॅानों की फोटो प्रतियां अभिलेखा शाखा से प्राप्त कर उनका मानचित्र में अंकन अनुसार माप पडोस से मिलान किया गया व सही पाया गया। जिसके अनुसार भूखण्ड संख्या 9, 19, 74, 98, 99, 100, 101, 120, 121, व 283 कुल 11 भूखण्डों के पट्टे जारी होना शेष है। अन्य समस्त भूखण्डों के पटटा विलेख पत्रावली में संलग्न मानचित्र 38/सी के अनुसार ही है।
3. उपरोक्तानुसार मानचित्र में पूर्व में पटटे जारी होना व 11 भूखण्डो के पटटे शेष रहने एवं संलग्न ले–आउन प्लान पर अनुमोदित होकर हस्ताक्षर नहीं होते हुए केवल ले–आउट समिति की बैठक दिनांक 01.11.2004 में प्रस्तुत ले–आउट प्लान की प्रति" अंकित होने तथा उप नगर नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण शेष भूखण्डों के पटटा विलेख जारी किये जाने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>

समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. आवेदित भूमि में से एच.टी लाईन गुजर रही है। अतः एच.टी लाईन की क्षमता प्राप्त करते हुये उक्त विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर आदि मानचित्र पर अंकित किया जावें।
2. वर्तमान नियमो के परिप्रेक्ष्य में समस्त आंतरिक सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावें।
3. मानचित्र में दर्शित/मौके पर उपलब्ध सडक की चौडाई यदि 30 फीट से अधिक है तो तदानुसार रखी जावे।
4. उपरोक्त पूर्ति उपरान्त शेष भूखण्डों के पटटा विलेख जारी किये जावें।

</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>दक्षिण</td><td>

राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 35, 41, 42, 43 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकः– गार्ड पत्रावली

</td><td>

समिति को अवगत करवाया गया कि–

1. प्रकरण पूर्व में बीपीसी(एलपी) समिति की बैठक दिनांक 09.01.2017 में रखा जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–
   "प्रकरण भवन मानचित्र समिति(ले–आउट प्लान) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि गार्ड पत्रावली में उपलब्ध अनुमोदित ले–आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 75 से 84 में भुजा की लंबाई 75 फीट दर्शायी गयी है जबकि पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूखण्डों की लंबाई 90 फीट है। प्रकरण में समिति द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये :–
   I. योजना का मौका निरीक्षण जोन के तहसीलदार/पटवारी/ जेईएन द्वारा संयुक्त रूप से किया जावे। जो भी क्षेत्र पार्क एवं ओपन स्पेस के रूप में दर्शित है। उनका स्टेटस चैक किया जावे।
   II. सम्पूर्ण स्वीकृत ले–आउट प्लान का एरिया एनालेसिस कर यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत ले–आउट प्लान का कुल एरिया मालिकाना हक से कितना क्षेत्रफल कम अथवा अधिक है एवं संशोधन किये जाने के पश्चात क्या स्थिति रहेगी।
   उपरोक्त कार्यवाही होने तक प्रश्नगत प्रकरण को स्थगित किया जावे।"
2. उपरोक्त निर्णय के बिन्दु संख्या (i) के क्रम में पत्रावली के बिन्दु संख्या 39 अनुसार संयुक्त मौका रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 64 पर संलग्न है जिसके अनुसार उक्त ले–आउट प्लान में स्थित पार्क एवं ओपन लेण्ड प्लान के अनुसार ही पाये गये, परन्तु प्लानॅट नं. 214 से 228 में लगभग सभी में निर्माण पाया गया तथा उनके आगे तीनों सडको के मध्य भूमि रिक्त पायी गयी। अतिरिक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट पैरा संख्या 52 से 54 पर अंकित है, जिसके अनुसार 924.45 वर्गगज भूमि जमाबन्दी से अधिक है। साथ ही समिति द्वारा पूर्व मे लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या पप के क्रम में क्षेत्र विश्लेषण बिन्दु संख्या 49 पर अंकित है।
3. पूर्व मे बैठक दिनांक 09.01.2017 मे रखे गये एजेण्डे की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 63 पर संलग्न है।

समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में 924.45 वर्गगज अतिरिक्त भूमि हेतु राशि को शेष रहे भूखण्डों में पटटा विलेख जारी करते हुए समानुपात रूप से राशि ली जावें।
2. भूखण्ड संख्या 75 से 84 की लम्बाई में सर्वेयर द्वारा गलत माप (90 के स्थान पर 75 फीट) को संशोधन कर तदानुसार पट्टा जारी किया जावें।

</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>दक्षिण</td><td>

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 775/81 की भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

गार्ड पत्रावली

</td><td>

समिति को अवगत करवाया गया कि–

1. नहर की भूमि को छोडने के पश्चात मास्टर प्लान की सडक को 100' मानते तथा समस्त आन्तरिक सडको को 30 फीट करते हुए योजना मानचित्र का क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>प्रयोजन</td><td>एरिया वर्गगज</td><td>प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>आवासीय/प्लॉट एरिया</td><td>3650.58</td><td>59.69</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सडक</td><td>2464.68</td><td>40.31</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>6115.26</td><td>100</td></tr>
</table>

2. जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में 17.06.1999 से पूर्व के दस्तावेज संलग्न नही है।

समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व होने अथवा नही होने के सन्दर्भ में उपायुक्त स्तर पर पुनः विस्तृत जॉच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>दक्षिण</td><td>

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/17 वगैरहा

</td><td>

समिति को अवगत करवाया गया कि–

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व ग्राम सालावास खसरा संख्या 25/17, का

</td></tr>
</table>

		की भूमि के पुनर्गठन के संबंध में। आवेदकः— श्री भुपेन्द्र सिंह	माप 4830 वर्गगज 25/14, 25/20 का माप 4830 वर्गगज 25/13, 25/19 का माप 4830 वर्गगज कुल क्षेत्रफल 14490 वर्गगज (12115.49 वर्गमीटर) का पुर्नगठन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है। उपरोक्त भूखण्डों का क्षैत्रफल 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षैत्र के कारण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.05.2017 के क्रम में राज्य सरकार से स्वीकृति आवश्यक है। 2. वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा कृषि आधारित उद्योग (एकल भूखण्ड) हेतु अलग से मापदण्ड निर्धारित किये जाकर बी.पी.सी (एल.पी) बैठक दिनांक 07.02 2018 के प्रस्ताव सख्या 1 में रखा जाकर अनुमोदन किया गया तद्नुसार भूखण्डों के मापदण्ड रखे जाने प्रस्तावित है। (निर्णय की प्रति संलग्न) **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण में आवेदित भूखण्डों का क्षैत्रफल 3000 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरान्त नियमानुसार शुल्क लेते हुये प्रकरण को अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया।**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(महेन्द्र सिंह राठौड़)
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(अरूण पुरोहित)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्री सुखराम चौधरी)
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्री श्रवण कुमार)
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्रीमती चंचल वर्मा)
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्री अनिल पूनिया)
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(श्री राकेश शर्मा)
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

(पी.आर. बेनीवाल)
निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– 4621-26

दिनांकः– 23/08/18

प्रतिलिपि :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एनीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की बेवसाईट पर अपलोड करें।

23/08

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी

परिशिष्ट "1"

एम्पावर्ड कमेटी की तृतीय बैठक 3/2018 वीं बैठक दिनाक 07.08.2018 को प्रातः 10:00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. महेन्द्र राठौड की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1.	श्री दुर्गेश बिस्सा, आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
2.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री सुखराम चौधरी निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
5.	श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
6.	श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
7.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	विशेष आमंत्रित
8.	श्री पूर्णाराम बेनीवाल, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

23/08

निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी